COURT FEE
ONE RUPEE

प्रभारी अधिकारी नकल
कलक्ट्रेट दौसा

खसरा :- प्रमाणित फोटो प्रति नकल जमाबन्दी [illegible] 1589-94 [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
9-3-90 [illegible] दिनांक 17-12-90 [illegible]
नक्शा [illegible] 1243 राजस्व [illegible]
जिला कलक्टर दौसा

शुद्ध प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी नकल
कलक्ट्रेट दौसा

मंत्री / संस्थापिका
प्रकाशी संस्थान, दौसा (राज.)

65

:: कार्यालय कलक्टर, जयपुर ::

क्रमांक: राजस्व-II/9/88/

दिनांक:

:: आदेश ::

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति संख्या: प.2(112) राजस्व/ग्रुप-3/88 दिनांक: 20.02.89 की अनुपालना में ग्राम दौसा खुर्द के खातेदार खसरा नम्बर 537 रकबा 230 बीघा 04 बिस्वा में [illegible] खसरा नम्बर 1243 रकबा 58-44 हैक्टेयर, कि किस्म गैर मुमकिन चरागाह में से 5 बीघा भूमि चरागाह है उस बाबत की स्वीकृति राजस्थान काश्तकारी नियमों के नियम 7 तथा [illegible] के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार प्रदान कर उक्त भूमि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक-प-5(109) राज/ग/160 दिनांक: 20.07.63 तथा [illegible] के अन्तर्गत निम्न लिखित शर्तों पर स्वामी विवेकानन्द विद्यालय दौसा को विद्यालय भवन एवं खेल का मैदान हेतु उप जिलाधीश दौसा एवं तहसीलदार दौसा की सिफारिश के अनुसार आवंटित की जाती है :-

(1) यह आवंटन निःशुल्क होगा ।

(2) यह आवंटन 30 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है तथा 30 वर्ष पश्चात पुनरावलोकन कर यदि भूमि का उचित उपयोग होना पाया जायेगा एवं आवश्यकता बनी रहेगी तो आवंटन का पुनः नवीनीकरण किया जा सकेगा ।

(3) आवंटित भूमि का उपयोग केवल विद्यालय भवन एवं खेल के मैदान हेतु ही किया जा सकेगा ।

(4) आवंटित भूमि राज्य सरकार में निहित होगी तथा आवंटी को भूमि का हस्तान्तरण रहनदान आदि करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(5) आवंटी को इस आवंटन हेतु एक [illegible] देकर उपरोक्त सभी शर्तों को मानते हुए राज्य सरकार के हित में निष्पादित करना होगा ।

(6) उपरोक्त शर्तों का आवंटी द्वारा किसी भी रूप में पालना न करने अथवा शर्त भंग करने की सूरत में उक्त भूमि बिना मुआवजा एवं दावे के राज्य सरकार को प्रतिस्थापित हो जायेगी ।

ह०

(अरुण कुमार शर्मा)
कलक्टर, जयपुर ।

शुद्ध प्रतिलिपि

असल से मिलान किया
सही पाया ।
हस्ताक्षर

क्रमांक: राजस्व-II/9/88/1529-34

दिनांक: 7/3/90

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(1) शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग राज., जयपुर ।

(2) उप जिलाधीश दौसा ।

मंत्री / संस्थापिका
प्रयस्वी संस्थान, दौसा (राज.)

:: 2 ::

(3) तहसीलदार दौसा को लिखकर लेख है कि उपरोक्त भूमि का चरागाह से विलायवक का अमल दरामद करें तत्पश्चात भूमि का आवंटन का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड में करें । उपरोक्त शर्तों की पालना करवाने हेतु आवंटी से अन्डर टेकिंग प्राप्त कर इस कार्यालय को भिजवावे तत्पश्चात आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी को सम्भलावें । संलग्न नक्शों के अनुसार नक्शा तरमीम कर पालना रिपोर्ट करें ।

(4) जिला शिक्षा अधिकारी : [illegible] [illegible] : जयपुर ।

(5) संस्थापिका प्रबन्ध समिति स्वामी विवेकानन्द विद्यालय दौसा तहसील दौसा ।

(6) गार्ड फाईल ।

कलक्टर, जयपुर ।

प्रधानाचार्या
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
दौसा (राज.)

::*::

मंत्री / संस्थापिका
प्रशस्वी संस्थान, दौसा (राज.)

प्रपत्र (1)

(देखिये खण्ड 5 का पद्द (1 क)

यह पट्टा विलेख दिनांक ------ 17/12/90 --को राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पट्टाकर्ता कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती तथा समनुदेशिति भी सम्मिलित होंगे जब तक विषय अथवा संदर्भ द्वारा अपवर्जित न किये गये हों) तथा दूसरी ओर श्री स्वामी विवेकानन्द विद्यालय दौसा संस्थापिका श्रीमती गीता देवी शर्मा पत्नी श्री देवनारायण मीणा

निवासी- ---- दौसा ------------ तहसील- --दौसा------जिला जयपुर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पट्टादार कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिति भी सम्मिलित होंगे जब तक विषय या संदर्भ द्वारा अपवर्जित न कर दिया जाय) के बीच किया गया।

यतः पट्टेदार ने इसके साथ दी गई अनुसूची में वर्णित --विद्यालय के भवन व खेल के मैदान हेतु-- प्रयोजन के लिये अनुपयोगी सरकारी भूमि आवंटित करने हेतु पट्टाकर्ता को आवेदन किया है;

और यतः पट्टाकर्ता ने इसमें इसके पश्चात् दी गई शर्तों एवं निर्देशनों पर उक्त भूमि 30 वर्ष की कालावधि के लिये पट्टे पर उक्त पट्टेदार को देना मंजूर कर लिया है।

अतः यह विलेख निम्नलोग साक्ष्य करता है :-

1- यह कि पूर्वोक्त करार के अनुसरण में पट्टाकर्ता उक्त भूमि दिनांक --5 मार्च 1990-- से 30 वर्ष की कालावधि तक पट्टेदार द्वारा धारण करने के लिये पट्टेदार को, एतद्द्वारा पट्टे पर दी जाती है।

2- यह कि पक्षकार निम्नलोग परस्पर एतद्उपाबद्ध करार करते हैं :-

(i) यह कि आवंटन निःशुल्क होगा।

(ii) यह कि इस पट्टे की अवधि 30 वर्ष की कालावधि के लिये होगी। यह 30 वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् पट्टाकर्ता स्थिति का पुनर्विलोकन करेंगे और जिस प्रयोजन के लिये भूमि आवंटित की गई थी यदि उसका वही उपयोग हो रहा हो और उस प्रयोजन के लिये उसकी आवश्यकता हो तो 30 वर्ष की और एक अवधि के लिये उस अवधि का नवीकरण किया जा सकेगा।

गीता देवी
मंत्री/संस्थापिका
प्रशस्वी संस्थान, दौसा (राज.)

(iii) यह कि जब उक्त भूमि पर कोई भवन निर्मित किया जाय और उसके फलस्वरूप भूमि कृषि से अकृषिक भूमि में संपरिवर्तित की जाय तो उस पर कोई प्रीमियम अथवा नगरीय निर्धारण प्रभारित नहीं होगा ।

(iv) यह कि उक्त भूमि का यथावत उसी प्रयोजन के लिये उपयोग किया जायेगा जिसके लिये वह आवंटित की गई है और भवन का निर्माण, जिसके लिये भूमि आवंटित की जाय, आवंटन से एक वर्ष के भीतर शुरू कर दिया जायेगा/किन्तु

परन्तु स्कूल अथवा महाविद्यालय निर्मित करने के लिये आवंटित भूमि का, स्कूल अथवा महाविद्यालय से संबंधित कृषि प्रयोजन के लिये भी उपयोग किया जा सकेगा ।

(V) यह कि उक्त भूमि सरकार में निहित होगी: परन्तु यदि भूमि किसी ग्राम पंचायत को पंचायत घर का निर्माण करने के लिये आवंटित की जाय तो वह उस पंचायत में निहित होगी ।

(Vi) ऐसी भूमि पर निर्मित भवन अथवा शुरू की गई कोई संस्था को जन साधारण के लाभ के लिये उपयोग में लाया जायेगा तथा आवंटी, जिसे आवंटन किया जाय, के कुटुम्ब के किसी सदस्य अथवा सदस्यों को उसका कोई अनन्यभाविक अन्तरण नहीं होगा ।

(Vii) पूर्वोक्त शर्तों का किसी भी रूप में भंग होने की दशा में उक्त भूमि, उस पर सन्निर्माणों सहित प्रतिकर के किसी दावे के बिना, राज्य सरकार को प्रतिवर्तित हो जायेगी ।

यह विलेख ऊपर लिखित दिवस एवं वर्ष को साक्ष्य के रूप में पक्षकारों द्वारा, सत्यपूर्वक हस्ताक्षरित किया गया है ।

उर्मिला देवी
संस्थापिका

पट्टेदार द्वारा प्रबन्ध समिति स्वामी विवेकानन्द विद्यालय
बीकानेर (राजस्थान)

साक्षी 1 - - - - - - - - - -

साक्षी 2 - - - - - - - - - -

कलक्टर

सरकार कलेक्टर के लिये
- - - - - - - द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी - - - - - - -

साक्षी - - - - - - -

असल से मिलान किया
सही पाया ।
हस्ताक्षर

शुद्ध प्रति
...की अधिकार
मंत्री / सचिव
प्रशस्ती संस्था

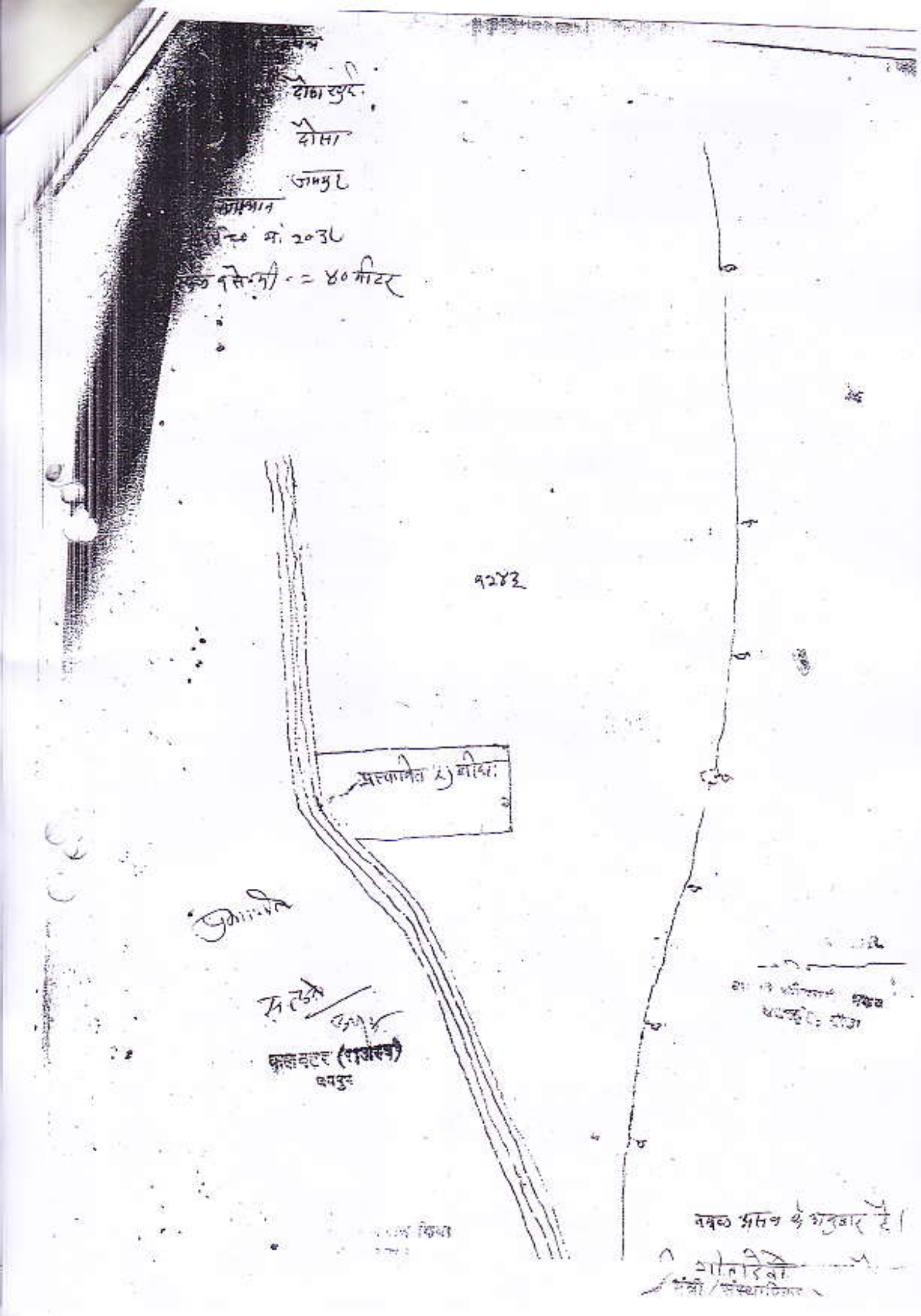

दौसा खुर्द
दौसा
जयपुर
नं. 2036
सेमी. = 40 मीटर
1243
प्रस्तावित 2) बीघा
कलक्टर (राजस्व)
जयपुर
नकल असल के मुताबिक है।